टी सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

(17)

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 20, 2010/श्रावण 29, 1932 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 124
No. 132] DELHI, FRIDAY, AUGUST 20, 2010/SHRAVANA 29, 1932 [N.C.T.D. No. 124

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सामान्य प्रशासन विभाग
(स्व. सेनानी प्रकोष्ठ)
अधिसूचना
दिल्ली, 20 अगस्त, 2010

सं. फा. 5(13)/99/सा.प्र.वि./स्व.से./350.—इस विभाग की अधिसूचना सं. फा. 5(13)/99/सा.प्र.वि./स्व.से. /327-336, दिनांक 22-5-2008 को जारी रखते हुए, माननीय उप-राज्यपाल, दिल्ली, स्वतंत्रता सेनानी राहत एवं स्मारक समिति में श्री शोकत अली हाशमी का नाम सहर्ष सम्मिलित करते हैं एवं मरणोपरांत निम्नलिखित सदस्यों के नाम स्वतंत्रता सेनानी राहत एवं स्मारक समिति से विलोपित करते हैं:—

क्र.	नाम
01.	स्व.श्री बाबू लाल आजाद
02.	स्व. श्री गणेश दास खत्री
03.	स्व. श्री रूप नारायण
04.	स्व. श्री गोपाल किशन जी
05.	स्व. श्री हरवंश सिंह
06.	स्व. श्री पी.एन. जलाली
07.	स्व. श्री गोपाल शास्त्री
08.	स्व. श्री कामरेड श्याम लाल
09.	स्व. श्री बी.डी. सन्तोषी
10.	स्व. श्री प्रभु दयाल
11.	स्व. श्री दलजीत सेन अदेल
12.	स्व. कैप्टन शोभा राम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आशीष कुमार, उप-सचिव

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(FREEDOM FIGHTERS CELL)
NOTIFICATION
Delhi, the 20th August, 2010

No. F. 5(13)/99/GAD/FF/350.—In partial modification to this Departments notification No. F.5(13)/99/GAD/FF/327-336, dated 22-5-2008, The Lt. Governor of NCT of Delhi is pleased to include name of Shri Shaukat Ali Hashmi as member of Freedom Fighter's Relief and Memorial Committee and delete the following names of freedom fighters from Freedom Fighter's Relief and Memorial Committee of Government of NCT of Delhi with immediate effect due to their sad demise:—

Sl. No.	Name
(1)	(2)
01.	Late Sh. Babu Lal Azad
02.	Late Sh. Ganesh Dass Khatri
03.	Late Sh. Roop Narain
04.	Late Sh. Krishan Gopal Ji
05.	Late Sh. Harbans Singh
06.	Late Sh. P.N. Jalali
07.	Late Sh. Gopal Shastri
08.	Late Comrade Shyam Lal

3291 DG/2010

[illegible]	[illegible]
09.	Late Sh. B.D. Satsangi
10.	Late Sh. Prabhu Dayal
11.	Late Sh. Daljit Sen Adel
12.	Late Capt. Shobha Ram

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ASHISH KUMAR, Dy. Secy.

प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 अगस्त, 2010

सं फा. 9/03/2009/प्र.सु./पार्ट फा./9105/सी.—दिल्ली लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (सेवा की शर्तें) नियमावली, 1998 का संशोधन करने के लिए दिल्ली लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1995 (1996 का दिल्ली अधिनियम 1) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जो नियम बनाना चाहते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तिथि से तीस दिन की अवधि व्यतीत होने के बाद विचार किया जाएगा जिस तिथि को, इस संबंध में [illegible] तक प्राप्त होने वाली/वाले किन्हीं आपत्तियों या सुझावों [illegible] अधिसूचना वाले दिल्ली राजपत्र की प्रतियां [illegible]।

इस संबंध में आपत्तियां या सुझाव [illegible] सुधार) प्रशासनिक सुधार विभाग, दिल्ली [illegible] सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002, [illegible] किए जाने चाहिएं।

प्रारूप नियमावली

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को दिल्ली लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये पहली जनवरी, 2006 से प्रभावी होंगे।

2. **नियम 13 का संशोधन.**—दिल्ली लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (सेवा की शर्तें) नियमावली, 1998 के नियम 13 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम (2) प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

"(2) (क) जहां लोकायुक्त किसी सरकारी आवास का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां उसे किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देय गृह किराया भत्ते की राशि के समान दर पर या अपने मकान के कर योग्य मूल्य या इसके स्थान पर उसके द्वारा भुगतान किये गये किराये, जो भी इनमें कम हो, का भत्ता प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा;

(ख) जहां उप-लोकायुक्त स्वयं किसी सरकारी आवास का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां उसे, उसके द्वारा पूर्व धारित पद के अधिकारियों को देय मकान किराया भत्ते की राशि के समान दर या अपने मकान के कर योग्य मूल्य या इसके स्थान पर उसके द्वारा भुगतान [illegible] किराये, जो भी कम हो, का भत्ता प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अरबिन्द रे, प्रधान सचिव

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th August, 2010

No. F. 9/3/2009/AR/Pt. File/9105/C.—The following draft rules which the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 20 of the Delhi Lokayukta and Upalokayukta Act, 1995 (Delhi Act I of 1996) to amend the Delhi [illegible] Upalokayukta (Conditions of Service) Rules, 1998 is hereby published for the information of persons [illegible] affected thereby, and notice is hereby given [illegible] will be taken into consideration after [illegible] of thirty days from the date on [illegible] Delhi Gazette containing this notification [illegible] available to the public [illegible] suggestions, that may [illegible] the stipulated period.

[illegible] behalf should [illegible] Reforms), [illegible] Department of [illegible] Wing, Delhi [illegible]

[illegible] These rules may [illegible] Upalokayukta (Conditions [illegible] 2010

[illegible] into force on the [illegible]

[illegible] Lokayukta and [illegible] Rules, 1998, in rule [illegible] rule shall be substituted [illegible]

"(2) [illegible] avail himself of the use [illegible] paid every month an allowance [illegible] the same rate as is payable to the [illegible] High Court or ratable value of his own [illegible] by him, whichever is the least [illegible]

(b) Where the [illegible] avail himself of the use of an official [illegible] paid every month allowance as house [illegible] same rate as is payable to the officers [illegible] held by